रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231958
CG-DL-E-17122021-231958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4906] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943
No. 4906] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5297(अ).—जबकि, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1192 (अ), दिनांक 03 दिसंबर, 2001 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 के मजनू का टीला से दिल्ली/हरियाणा सीमा सेक्शन के 16.500 किमी से 29.300 किमी तक के खंड और हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 के दिल्ली-हरियाणा सीमा से हरियाणा-पंजाब सीमा सेक्शन के 29.300 किमी से 212.00 किमी तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाए) को सौंपा है;

तथा जबकि, प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर मुकरबा चौक से पानीपत सेक्शन के 15.500 किमी.से 86.000 किमी. तक (डिजाइन जरीब-दूरी 14.972 किमी से डिजाइन जरीब-दूरी 86.361 किमी) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त सेक्शन' कहा जाए) को पेव्डशोल्डर स्टैनडर्ड सहित आठ लेन का बनाने और उक्त खण्ड के प्रचालन और रखरखाव हेतु 11/09/2014 को सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली के माध्यम से मैसर्स मुकरबा चौक-पानीपत टोल रोड्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 513/ए, 5वां तल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई-400070, महाराष्ट्र में है, के साथ दिनांकः 28/08/2015 को करार किया तथा बाद में दिनांकः 08/06/2020 को मेसर्स वेलस्पन इंफ्राफैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रतिस्थापन करार किया जिसका पंजीकृत कार्यालय टी-11, तीसरा तल, वसंत स्क्वायर मॉल, सेक्टर-बी, पॉकेट वी, वसंतकुंज, नई दिल्ली -110070 में है (जिसे इसके पश्चात 'रियायतग्राही' कहा जाए) के साथ करार (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त करार' कहा जाए) किया है।

अतः अब, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम'' कहा जाए), के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (196 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार की अधिसूचना का.आ. 2808 (ई), दिनांक 03 नवंबर, 2014 और अधिसूचना का.आ. 2646 (ई), दिनांकः 28 सितंबर, 2015 का अधिक्रमण करते हुए उक्त खण्ड के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रतिफल, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर उक्त खंड की निवल सड़क लंबाई सेक्शन 70.599 किमी के प्रयोग हेतु तालिका-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और नीचे तालिका-1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 7.896 किमी की समतुल्य लंबाई के साथ 0.7896 किमी की संरचना लंबाई हेतु 60 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों/संरचनाओं के लिए तालिका संख्या 1 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है।

तालिका 1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग यंत्र (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे दिए गए विवरणानुसार वसूल एवं एकत्र किया जाने वाला शुल्क, उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए निर्धारित की गई है, पर देय एवं भुगतान योग्य होगा अर्थात :-

तालिका -2

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (जरीब-दूरी)	लंबाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में भागन गांव के निकट/बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के नजदीक 53.6000 कि.मी. पर	70.599 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित भी देय और भुगतान योग्य होगाः

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवतर्तित संरचना की लम्बाई (किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क देय है
हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में भागन गांव के निकट/बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के 53.600 कि.मी. पर	0.7896	7.896	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^ संरचना विवरण (60 मी. से अधिक लंबाई) निम्नानुसार है;

क्र.सं.	जरीब-दूरी का आरंभ (कि.मी. पर)	जरीब-दूरी की समाप्ति (कि.मी. पर)	संरचना का नाम एवं प्रकार	कुल लंबाई (कि.मी.) में
(1)	27.3494	27.461	27.400 किमी पर प्रस्तावित फ्लाईओवर	0.1116
(2)	29.107	29.197	29.152 किमी पर प्रस्तावित फ्लाईओवर	0.0900
(3)	32.24	32.311	32.275 किमी. पर बड़ा पुल	0.0710
(4)	41.14	41.275	41.212 किमी पर मौजूदा बहलगढ़ फ्लाईओवर	0.1350
(5)	48.556	48.641	48.600 किमी. पर मौजूदा मुरथल फ्लाईओवर	0.0850
(6)	62.055	62.136	62.100 किमी. पर मौजूदा गन्नौर फ्लाईओवर	0.0810
(7)	72.99	73.206	73.200 किमी पर मौजूदा समलखा फ्लाईओवर	0.2160
			कुल संरचना लंबाई	**0.7896**

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास अथवा अधिक	भुगतान की दिनांकः से एक माह

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन उक्त नियमों के अंतर्गत अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसको शुल्क प्लाजा को पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाता है। उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के लागू प्रावधान के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. उक्त नियमावली के नियम 12 के अनुसार, प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

8. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के उपबंधों के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। परंतु, शर्त यह है कि पिछली बार शुल्क में किए गए संशोधन की तारीख से 6 (छह) माह की अवधि तक कोई संशोधन नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. मसौदा टोल अधिसूचना एनएच-44]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5297(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192(E) dated the 03rd December, 2001 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 16.500 to kilometer 29.300 of Majnu ka Tila to Delhi/Haryana border section of National Highway 1 in the National Capital Territory of Delhi and from kilometer 29.300 to km 212.00 of Delhi Haryana Border to Haryana-Punjab Border section of National Highway 1 in the State Haryana to the National Highway Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 28/08/2015 (hereinafter referred to as “said agreement”) with M/s. Mukarba Chowk-Panipat Toll Roads Limited having registered Office at 513/A, 5th Floor, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (West) Mumbai – 400070, Maharashtra and later entered into Substitution Agreement on 08/06/2020 with M/s. Welspun Infrafacility Pvt. Ltd. having registered office at T-11, 3rd Floor, Vasant Square Mall, Sector-B, Pocket V, VasantKunj, New Delhi – 110070 (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), the successful bidder for bids submitted on 11/09/2014 for the development of Mukarba Chowk to Panipat section from Km. 15.500 to Km. 86.000 (design chainage Km 14.972 to design chainage Km 86.361) on National Highway No. 44 in the States of Delhi and Haryana (hereinafter referred to as the “said section”) to Eight lane with paved shoulder standards and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), and in the supersession of the notification bearing No. S.O. 2808(E) dated 03rd November 2014 and S.O.2646(E) dated 28th September 2015, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rates specified in column (2) of Table 1 below for net road section length 70.599 Km and at base rates specified in the Table No. 1 for bridges/structures with length more than 60m for structure length 0.7896 Km with an equivalent length of 7.896 Km on the type of vehicles specified in Table 1 below and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1	
Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km 53.600 of NH-44 near/ between Bhagan village in Sonepat district of State Haryana	70.599 [Excluding length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee plaza, by converting the length of structures into an equipment length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above : -

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km 53.600 of NH-44 near/ between Bhagan village in Sonepat district of State Haryana	0.7896	7.896	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures (> 60 m length) are as under: -

S. No.	Start Chainage (at Km)	End Chainage (at Km)	Type and Name of the Structure	Total length (Kms)
(i)	27.3494	27.461	*Proposed Flyover at 27.400 Km*	0.1116
(ii)	29.107	29.197	*Proposed Flyover at 29.152 Km*	0.0900
(iii)	32.24	32.311	*Major Bridge at 32.275 Km*	0.0710
(iv)	41.14	41.275	*Existing Bahalgarh Flyover at 41.212 Km*	0.1350
(v)	48.556	48.641	*Existing Murthal Flyover at 48.600 Km*	0.0850
(vi)	62.055	62.136	*Existing Gannaur Flyover at 62.100 Km*	0.0810
(vii)	72.99	73.206	*Existing Samalkha Flyover at 73.200 Km*	0.2160
			Total Length of structure	**0.7896**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilo meters from the fee plaza is Rs. 285.00 (Rupees Two Hundred Eighty Five) for the year 2021-2022 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the fee plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency as per the applicable provision in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. Draft TOLL Notificationnh-44]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2021.12.17 22:27:14 +05'30'